स्मृति-पत्र

1.	संस्था का नाम	:	**छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति**
2.	संस्था का पता	:	बी-810, विश्व बैंक कालोनी, कानपुर।
4.	कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
5.	उद्देश्य	:	1. इस समिति द्वारा पर्यावरण के लिये करना। जिसके तहत-वृक्षारोपण का कार्य, सभी जगहों पर कराना।

2. वृद्धाआश्रम की व्यवस्था का वृद्ध तथा असहाय एवं गरीब पीडितों के लिये आश्रय की व्यवस्था करना।

3. नारी निकेतन की व्यवस्था करना इसके तहत विधवा बेसहारा नारियों के लिये आश्रय तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये कार्य करना।

4. नेत्रहीनों (नेत्रहीन) व्यक्तियों के लिये आश्रय तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रशिक्षित करना।

5. इस समिति द्वारा गौशाला की व्यवस्था कर गाय माता जो कि हिन्दुओं की पूज्यनीय है को एकत्र कर उनके रहने तथा खाने की व्यवस्था करना।

6. विकलांग पुरूषों तथा महिलाओं को ट्राइ साइकिल जैसे उपकरण देना तथा उनके अनुरूप प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के छात्रों की उन्नति हेतु तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

इस समिति द्वारा छात्र तथा छात्राओं की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति और विकास के निम्मित भारतीय संस्कृति के आधार पर धार्मिक, बौद्धिक स्वास्थ्य एवं व्यायाम आदि की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण संस्था का निर्माण हेतु शिक्षण संस्थान का प्रबंध करना।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

9. प्राइमरी से लेकर डिग्री तक की कक्षाओं की शिक्षा प्रदान करना तथा उसका प्रबंध करना।

10. छात्र एवं छात्राओं को सुशील, चरित्रवान और स्वावलम्बी बनाने के लिये मानसिक, शारीरिक एवं औपचारिक शिक्षा का प्रबंध करना एवं छात्रावासों की व्यवस्था की स्थापना करना।

11. सरकार द्वारा स्वीकृत सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने व संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग केन्द्र के प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था करना तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व खादी ग्रामोद्योग एवं हरिजन समाजकल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार कराना।

12. समाज के सामुदायिक विकास के लिए सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना ।

13. संस्था के कार्यक्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के लिए बहुमुखी प्रतिभाओं को उजागर करने हेतु प्राइमरी, जुनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इन्टरमीडियट, स्नातक तथा स्नाकोत्तर कक्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल खोलना एवं उनका संचालन करना तथा शासन एवं सरकार की नीतियों के अनुसार कन्या विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

14. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर देश की निरक्षरता समाप्त करने में सहयोग प्रदान करना।

15. समिति द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम में सरकार का सहयोग कर देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहयोग करना।

16. समाज के उत्थान हेतु मद्य निषेध कार्यक्रम का प्रचार व प्रसार करना तथा मद्यसेवन करने वाले व्यक्तियों के लिये कैंप की व्यवस्था का इसके दूरगामी प्रभावों को फिल्म्स व कैसेट के माध्यम से समझाना।

सत्य–प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : छत्रपति शिवाजी शिक्षा एंव विकास समिति
2. संस्था का पता : बी–810, विश्व बैंक कालोनी कानपुर नगर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष

4. संस्था के उददेश्य : समिति के उददेश्य सलंग्न स्मृति पत्र के अनुसार होंगें

5 समिति की सदस्यतााप तथा सदस्यो का वर्ग

कोई भी महिला/पुरूष जो इस समिति के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा इस समिति के उददेश्यों में आस्था रखते हो वे इस समिति के सदस्य प्रबन्धक/मंत्री द्वारा बनायें जायेंगें ।

1'– संस्थापक सदस्य

समिति की स्थापना श्रीमती मिथलेश कटियार पत्नी श्री कमलेश कुमार तथा श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री राधे श्याम द्वारा की गयी है ये संस्थापक सदस्य कहलायेंगें संस्थापक होने के कारण आजीवन सदस्य रहेंगें इन्हे समिति की प्राथमिक सदस्यता से कभी भी वंचित नही किया जायेगा संस्थापक सदस्यों की मृत्यु होने या स्वेच्छा से त्याग पत्र देने की दशा में इनकी वरिष्ठ संतान/संतानो को संस्थापक सदस्य के रू में मान्यता दी जायेगी यही क्रम निरन्तर चलता रहेगा यह वंशानुगत5 क्रम न होने की स्थिति में समिति का समस्त सम्पत्ति एंव खोली गयी संस्थायें सरकार के अधीन चली जायेगी संतान के अवयस्क होनें की दशा में अन्य संस्थापक सदस्य द्वारा तथा उसके भ्ज्ञी न होनें पर समिति के अध्यक्ष द्वारा उसके सरंक्षक के रू में कार्य किया जायेगा संतान के वयस्क हो जानें पर वह स्वंय बिना किसी संरक्षक के स्वतंत्र रू से संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य करेगा ।

2–आजीवन सदस्य जो व्यक्ति समिति को सदस्यता के रूप में रूपयें 50,000/–रू0 एक बार में या इतनें ही मूल्य की अचल सम्पत्ति देगा वह आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

3– सरंक्षक सदस्य जो व्यक्ति समिति को सदस्यता के रूप में रूपयें 20,000/–रू0 एक बार में या इतनें ही मूल्य की अचल सम्पत्ति देगा वह सरंक्षक सदस्य माना जायेगा ।

4– विशिष्ट सदस्य जो व्यक्ति समिति को सदस्यता के रूप में रूपयें 10,000/–रू0 एक बार में या इतनें ही मूल्य की अचल सम्पत्ति देगा वह

सत्य–प्रतिलिपि

सोनाक्षी

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

MKatiyar

विशिष्ट सदस्य माना जायेगा ।

5–सामान्य सदस्य — जो व्यक्ति समिति को सदस्यता के रूप में रूपयें 5,000/–रू0 एक बार में या इतनें ही मूल्य की अचल सम्पत्ति देगा वह आजीवन सदस्य माना जायेगा ।

6– मनोनीत सदस्य — अध्यक्ष ने सलाह लेकर आवश्यक पड़ने पर प्रबन्धक अधिकतम तीन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिनका कार्यकाल एंव्वर्ष का होगा यह प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव में हिस्सा नही ले सकेंगें

7–सदस्यता की समाप्ति : — सदस्यता की समाप्ति निम्न तथ्यो पर मानी जायेगी :–

1–मृत्यु पागल या दिवालिया हो जाने पर।
2–न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
3–सदस्यता शुल्क न मिलने पर ।
4–बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठको में उपस्थित होने पर ।
5– त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार होने पर ।
6–समिति के हितो को नुकसान पहूँचाने उसके खिलाफ अनर्गल प्रचार करन व असहयोग करने पर लिखित या मौखिक रू० से सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

8–विषेय :– यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से समिति को कोई धनराशि दान के रूप में दी जाती है तो वह समिति का सदस्य नही माना जायेगा ।

9. समिति के अंग (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

1. साधारण सभा:– संस्था के सभी सदस्यों का पूर्णरू० सें शामिल होना आवश्यक है तथा प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा ।

2–गठन:– सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभसी का गठन होगा केवल मनोनीत सदस्यों को छोड़कर

3–बैठके :– प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति पर साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक बलाई जानी अनिवार्य है बैठकें प्रबन्धक/मंत्री द्वारा बुलाई जायेगी व विशेष बैठकें अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबष्धक/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है

4– बैठक की सूचना :– साधारण सभी की सामान्य बैठकों की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व समस्त सदस्यों एंव पदाधिकारियों को दी जायेगी तथा

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

सोनावती
UKatiyar

			विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी जायेगी।
(iv)	गणपूर्ति	:	प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी।
(v)	रिक्त स्थानों की पूर्ति	:	प्रबन्धकारिणी समिति में कोई स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा द्वारा निर्वाचन सदस्यों में से बहुमत के आधार पर होगा और उसकी पूर्ति की जायेगी।
(vi)	विशेष वार्षिक अधिवेशन	:	जून में होगा
(vii)	साधारण सभा के कर्तव्य	:	नियमों एवं विनियमों में संशोधन करना। प्रबन्धकार्यकारिणी समिति का चुनाव करना, वार्षिक बजट पास करना।

(2)	प्रबन्धकारिणी समिति		
(i)	गठन	:	साधारण सभा में बहुमत या गुप्त मतदान या चुनाव प्रकिया से समिति का गठन होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/मंत्री, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष 03 से 05 सदस्य इस प्रकार 07 से 09 व्यक्तियों की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति होगी। प्रबन्धक /मंत्री का चुनाव संस्थापक सदस्यों की श्रेणी में होगा।
(ii)	बैठकें	:	प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकें प्रत्येक छः माह के अन्दर व विशेष बैठकें प्रबंधक/मंत्री द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर बुलाई जा सकेगी।
(iii)	बैठक की सूचना	:	प्रबंधक/मंत्री समिति की बैठकों की सूचा उनके ज्ञात पते पर 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेश बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व देना अनिवार्य है।

(iv) प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों के प्रति सजग एवं सकिय रहना।
2. समस्त प्रकार की वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति विमुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन, निलम्बन करना।
3. समिति की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व व्यवस्था करना।
4. एक से अधिक संस्थायें खोलना व कार्यक्रम आयोजित करना।
5. बिल व बाऊचरों आदि का भुगतान करना।

M Katiyar
उत्तमा प्रसाद
सोमावती

सत्य–प्रतिलिपि
निबन्ध सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर 05/09/2022

		6.	वार्षिक बजट व आर्थिक रिपोर्ट पास करना।
		7.	इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट 1921 के विनियमों, उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं अन्य शिक्षा विभागीय नियमों के अनुसार कार्य करना।

7. प्रबन्धककार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

1.	अध्यक्ष	1.	सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा और आजीवन सभी प्रकार के सदस्य इस पद के अभ्यर्थी हो सकते। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये किसी एक संस्थापक सदस्य द्वारा नाम प्रस्तावित किया जायेगा।
		2.	अध्यक्ष कार्यकारिणी और साधारण सभा दोनों बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
		3.	प्रत्येक वाद-विवाद इत्यादि का निर्णय समिति के प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के बहुमत से होगा। किन्तु मत संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष अपना अमूल्य मत देगा।
		4.	बैठक में कोई भी सदस्य आवश्यक प्रश्न पूछ सकता है तथा अध्यक्ष पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देगा।
		5.	विशेष परिस्थितियों में प्रबंधक/मंत्री की सलाह पर बैठकों को स्थगित व आमंत्रित करेगा।
		6.	समिति की बैठकों की तिथियां निश्चित करेगा।
		7.	समिति की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कार्य करेगा।
		8.	किसी भी प्रस्तावित बैठक को प्रबंधक की संस्तुति पर रद्द करना, आहूत करना एवं प्रबंधक/मंत्री के सहयोग से विवादों का निपटारा करना एवं किसी भी सदस्य के इस्तीफे पर विचार का पूर्ण अधिकार है।
2.	उपाध्यक्ष		अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का पालन करना एवं निर्वाचन में वे सभी शर्तें व नियम लागू हों जो अध्यक्ष पद हेतु लागू है।
3.	प्रबन्धक/मंत्री		इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं का मुख्य अधिकारी होगा। अन्य पदों के लिए प्रबंधक/मंत्री व अध्यक्ष के सहयोग व संस्तुति पर संस्थापक सदस्यों द्वारा हर पांच वर्ष में चुनाव होगा।

Katiyar
3-उपाध्यक्ष प्रसाद
सोनावती

सत्य-प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर 05/09/2022

1. समिति के समस्त प्रबन्धन/दायित्व प्रबंधक/मंत्री पर होगा। अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अस्थाई रूप से करेगा।

2. संस्था के समस्त कर्मचारियों के निलंबन का अधिकार होगा।

3. इण्टरमीडिएट एमेटमेन्ट एक्ट–1958, उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं शिक्षा संहिता के अनुसार समस्त अधिकारों का उपभोग कार्यकारिणी समिति की ओर से करेगा।

4. समिति द्वारा किसी व्यक्ति फर्म या सोसाइटी पर मुकदमा चलता है तो प्रबंधक संस्था की ओर से किसी भी न्यायालय में वाद–विवाद में उपस्थित होगा।

5. समिति के प्रबंधक का विशेष परिस्थितियों में पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रबन्धक कार्यकारिणी को भंग कर दे और समिति का पुनः नवीन संगठन करे ओर समिति का अधिकार अपने हाथ में ले ले।

6. प्रबन्धक/मंत्री को समिति का धन किसी बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करने व निकालने हेतु कोषाध्यक्ष के साथ खाता संचालन करने का अधिकार होगा।

7. प्रबंधक/मंत्री को समिति के चयन में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार होगा।

8. समिति की चल –अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों व दस्तावजों में हस्ताक्षर करना एवं संस्था के लिये अनुदान एवं दान स्वयं प्राप्त करना, उसकी समस्त प्रतियां प्रबंधक/मंत्री द्वारा प्रमाणित होंगी।

9. समस्त प्रकार के बिलों बाउचरों का भुगतान करना तथा विद्यालय का प्रबंधन तथा नियंत्रण करेगा।

10. आय–व्यय का लेखा रखना तथा आय–व्यय पत्रक तैयार करना।

11. इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाई का मुख्य अधिकारी होगा। समिति के पारित प्रस्तावों व उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

12. किसी बैठक में सदस्य के आने या उसके लिखित पत्र अपने पर उसका निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा। किसी को भी सदस्य बनाने या उसकी सदस्यता समाप्त करने का

Akatiyar

उमाकान्त कुमार
सोनावती

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ0प्र0)

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

अधिकार सुरक्षित होगा।

13. प्रबंधक/मंत्री आवश्यक होने पर प्रबंध समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

14. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वाह करना।

4. कोषाध्यक्ष : समिति की साधारण सभा के सदस्यों में से ही इसका निर्वाचन होगा। इसके निर्वाचन में सभी प्रकार के सदस्य भाग ले सकते है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

1. समिति के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. दान या चंदा की रसीद काटना एवं उसका विवरण अपने पास रखना।
3. कैश बुक आदि तैयार करना।
4. प्रबंधक/मंत्री द्वारा निश्चित धनराशि अपने पास रखेगा एवं प्रबंधक/मंत्री की अनुमति के बिना अधिक धनराशि 24 घंटे से अधिकर अपने पास नहीं रख सकेंगे।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:

1. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा।
2. विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर इसका कार्यकाल घटाया बढ़ाया जा सकता है।
3. यदि किसी कारणवश निर्धारित समय के अन्दर समिति का चुनाव नहीं हो पाता है तो पुरानी समिति अगले चुनाव तक कार्य करती रहेगी।

समिति के अधिकार :

1. समिति के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी ही समिति द्वारा संचालित इकाईयों/संस्थाओं के पदाधिकारी होंगे। यदि किसी संस्था से सम्बन्धित विभाग के अधिनियम की धाराओं एवं नियमों का समिति के नियमों में विरोधाभास होने के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस गतिरोध को नियमानुसार निस्तारित करने का अधिकार समिति का होगा।
2. महाविद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति में मूल सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को सम्मिलित करने हेतु शुल्क निर्धारण एवं समय–समय पर शुल्क परिवर्तन करने का अधिकार समिति को होगा।

MKatiyar
A. Kumar
उर्मिला प्रसाद
सोनावती

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022

3. समिति द्वारा संचालित संस्थाओं/इकाईयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन मूल समिति द्वारा किया जायेगा तथा प्रबन्ध कार्यकारिणी के प्रबन्धक/मंत्री का चुनाव मूल सनिति के संस्थापक सदस्यों की श्रेणी में होगा।

4. समिति द्वारा संचालित इकाईयों/संस्थाओं के कोष को संरक्षित करने एवं आय–व्यय पर नियंत्रण रखने का अधिकारसमिति का होगा।

5. समिति द्वारा संचालित संस्थाओं/इकाईयों में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने का अधिकार समिति का होगा।

10. समिति के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:

समिति के नियमों एवं विनियमों मे संस्था के संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा–12 के अनुसार साधारण सभा की बैठकों में किये जायेंगे।

11. समिति का कोष : समिति के कोष का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में होगा जिसका संचालन प्रबंधक/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12. समिति के आय–व्यय का लेखा परीक्षण:

समिति के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी आडिटर की नियुक्ति करके कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक/मंत्री या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14 समिति के अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. एजेण्डा रजिस्टर
3. कार्यवाही रजिस्टर
4. स्टाक रजिस्टर
5. कैश बुक
6. चैक बुक
7. पास बुक
8. कर्मचारी रजिस्टर आदि

15 आर्थिक वर्ष : संस्था का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

सत्य–प्रतिलिपि

05/09/2022

समिति विघटन	समिति का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी एवं उसके प्रबंधक / मंत्री का निर्णय पूर्णरूपेण मान्य होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

MKatiyar MKatiyar

(प्रबन्धक / मंत्री)

छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति

बी–810, विश्वबैंक बर्रा, कानपुर

MKatiyar

रजमवती

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर (3090)

MKatiyar

उपाध्याय

सोमावती

सत्य–प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
05/09/2022